भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 945

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

सीएसआर के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं

945. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की कुल संख्या से संबंधित कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में सीएसआर के अंतर्गत इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित अल्पसंख्यकों की कुल संख्या से संबंधित कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में सीएसआर के अंतर्गत इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर विभिन्न कॉरपोरेटों द्वारा कॉरपोरेट-वार और योजना-वार कुल कितनी राशि खर्च की गई?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय आदि के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है। ये योजनाएं अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

क. शैक्षणिक सशक्तीकरण योजनाएं

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(3) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

ख. रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

(4) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)
(5) अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को इक्विटी

ग. विशेष योजनाएं

(6) जियो पारसी : भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना
(7) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY)
(8) प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, प्रचार-प्रसार, निगरानी और मूल्यांकन।

घ. अवसंरचना विकास योजनाएं

(9) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को 30 सितंबर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत) के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के कल्याण के लिए पूरे देश में कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने 2020-21 के दौरान तमिलनाडु, कोयंबटूर के ''युनाईटेड ऑरफनेज फॉर द डिसेबल्ड'' में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग 150 अनाथों और परित्यक्त बुजुर्गों के लिए 1.84 लाख रु. के कपड़े और बेड लिनेन के साथ सीएसआर सहायता प्रदान की है।

4. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त उत्तर के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तमिलनाडु में सीएसआर के तहत विभिन्न गतिविधियों पर 1407.11 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च किए गए हैं। हालांकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय "अल्पसंख्यकों के कल्याण" के संबंध में कोई विशिष्ट डेटा का रख-रखाव नहीं करता है, लेकिन चूंकि कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदें व्यापक हैं और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, सीएसआर निधि का एक हिस्सा "अल्पसंख्यकों के कल्याण" पर भी खर्च किया जाएगा।

******